(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 20 **नई दिल्ली** 24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में विशाखा कंटेनर टर्मिनल के इसके प्रचालनों के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को बढ़ाता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/12/2007–वीसीटीपीएल

विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ——— आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2009 के 12 वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में विशाखा कंटेनर टर्मिनल के इसके प्रचालनों के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) के मौजूदा दरमान (एसओआर) की वैधता को बढ़ाए जाने से संबंधित है।

2. वीसीटीपीएल का मौजूदा दरमान (एसओआर) राजपत्र सं. 152 द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

3. वीसीटीपीएल ने अपने दरमान (एसओआर) के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव फरवरी, 2008 में दाखिल किया था। चूँकि प्रस्ताव विचार–विमर्श की अवस्था में था, इसलिए इस प्राधिकरण ने वीसीटीपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 जुलाई, 2008 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया था। तत्पश्चात, इस प्राधिकरण ने मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 तक अथवा राजपत्र सं. 162 द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक और बढ़ाया था।

4. वीसीटीपीएल द्वारा दाखिल किए गए प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव पर एक संयुक्त सुनवाई 19 दिसम्बर, 2008 को विशाखापत्तन पत्तन न्यास के परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, वीसीटीपीएल को कुछ अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने की सलाह दी गई है, जिसकी प्रतीक्षा है।

5. वीसीटीपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हो चुकी है। इस मामले को अंतिम रूप देने में लगने वाले और समय को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण वीसीटीपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 अप्रैल, 2009 तक अथवा अनुमोदित (किए जाने वाले) संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष